न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.
गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 10/2014

सायल :–	**बनाम**	**गैरसायलः–**
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		गुमानाराम पुत्र पाबुराम जाति नायक निवासी लाम्बिया पुलिस थाना सदर, पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैरसायल अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 20/03/2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 21.02.2014 को गैरसायल गुमानाराम पुत्र पाबुराम जाति नायक निवासी लाम्बिया पुलिस थाना सदर, पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना सदर का आपराधिक प्रृवति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2008 से 2009 में 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। समस्त प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	थाना	मु.नं. /दिनांक	धारा	आरोप पत्र सं.व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	सदर पाली	62/30.04. 2008	16/54 आबकारी अधिनियम	चालान संख्या 48/24.05. 2008	न्यायालय श्रीमान एसीजेएम साहब पाली द्वारा दिनांक 17. 02.2011 को सजा
2	सदर पाली	128/12.07. 2009	16/54 आबकारी अधिनियम	चालान संख्या 97/30.07. 2009	दिनांक 03.06.2013 को न्यायालय श्रीमान एसीजेएम साहब पाली द्वारा सजा

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल गुमानाराम पुत्र पाबुराम जाति नायक निवासी लाम्बिया पुलिस थाना सदर, पाली, अवैध शराब के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अवैध शराब बेचने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।

सायल पक्ष की ओर से मुख्य परीक्षण में गवाह सुभाष शर्मा परीक्षित हुए। गवाह ने अपने बयानों में परिवाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की तथा दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–6 है। गैरसायल की ओर से कोई भी गवाह मुख्य परिक्षण में परीक्षित नहीं हुआ।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना सदर का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अवैध शराब का धन्धा करता है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 154/2009 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2013 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1956 की धारा 16/54 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए दस–दस हजार रूपये की दो जमानतें एवं बीस हजार रूपये के स्वयं के मुचलके पर एक वर्ष की अवधि तक परिशांति बनाये रखने एवं सदाचारी रहने एवं किसी अपराध की पुनरावृति नही करने हेतु पाबन्द किया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 530/2010 में दिनांक 17.02.2011 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1956 की धारा 16/54 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए एक हजार रूपये के बन्ध पत्र पर एक वर्ष की अवधि तक परिशांति बनाये रखने एवं सदाचारी रहने एवं किसी अपराध की पुनरावृति नही करने हेतु पाबन्द किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(iii) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल गुमानाराम पुत्र पाबुराम जाति नायक निवासी लाम्बिया पुलिस थाना सदर, पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना सदर, पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना शिवपुरा जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 05.04.2018 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना शिवपुरा जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी शिवपुरा जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल गुमानाराम, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर पाली गैरसायल गुमानाराम को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना शिवपुरा जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी शिवपुरा उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी सदर पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी शिवपुरा एवं थानाधिकारी सदर पाली को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली